

न्यायालय:- जफर इकबाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चन्देरी,

जिला-अशोकनगर (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी-जफर इकबाल)

दांडिक प्रकरण कं.-29/14

संस्थापित दिनांक-05.08.14

1.श्रीमति शेष कुमारी पुत्री शिशुपाल रैकवार आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम नानोन तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)	आवेदिका
विरुद्ध	
पवन पुत्र रामदयाल रैकवार आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम वकशनपुर थाना पिपरई जिला अशोकनगर (म.प्र.)	अनावेदक
आवेदिका द्वारा श्री पठान अधिवक्ता। अनावेदक द्वारा श्री योगेन्द्र जैन अधिवक्ता।	

:: आदेश ::

(आज दिनांक 01.02.2018 को पारित)

01- इस आदेश द्वारा आवेदिका के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 द.प्र.स. का निराकरण किया जा रहा है।

02- आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उसका अनावेदक से हिंदु रीति रिवाज अनुसार विवाह हुआ था। आवेदिका के अनुसार अनावेदक उसे प्रताड़ित करता है तथा पच्चीस हजार रुपये की मांग करता है। आवेदिका के अनुसार वह अपने पिता के घर निवास कर रही है तथा वह भरण पोषण करने में असमर्थ है। आवेदिका ने अपने आवेदनपत्र में अभिवचित किया है कि अनावेदक ने आरती नामक महिला से विवाह कर लिया है तथा उसे स्वयं के भरण पोषण हेतु पांच हजार रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता है। आवेदिका के अनुसार अनावेदक नोकरी करता है तथा प्रतिमाह बीस हजार रुपये की उसकी आमदनी है। अतः आवेदिका ने अनावेदक से प्रतिमाह पांच हजार रुपये भरण पोषण की राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

03- उक्त आवेदन पत्र के जबाब में अनावेदक का अभिवचन है कि

आवेदिका द्वारा गलत आधारों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक के अनुसार आवेदिका जानबूझकर उसके साथ नहीं रहना चाहती है तथा वह अपना भरण पोषण करने में समर्थ है। अनावेदक के अनुसार उसने दूसरा विवाह नहीं किया है तथा आवेदिका स्वयं अपनी मर्जी से चली गई है। अनावेदक अनुसार वह प्रतिमाह तीन हजार रुपये कमा पाता है तथा आवेदिका चाहती है कि वह घर जमाई बनकर रहे। अतः उपरोक्त आधारों पर अनावेदक ने आवेदिका के आवेदन पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया है।

04— प्रकरण में आवेदिका की ओर से आवेदिका स्वयं शेषकुमारी अ.सा.-1, अ.सा.-2 शिशुपाल, की साक्ष्य प्रस्तुत की गई हैं। अनावेदक की ओर से अनावेदक साक्षी पवन, अना.सा.2 रघुराज की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

05— प्रकरण में अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:—

- (1) क्या, आवेदिका अनावेदक से युक्तियुक्त कारण से अलग रह रही हैं?
- (2) क्या आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं ?
- (3) क्या अनावेदक, आवेदिका का भरण-पोषण करने में सक्षम हैं ?
- (4) क्या अनावेदक, आवेदिका को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के भरण पोषण करने में उपेक्षा कर रहा हैं ?
- (5) परिणाम ?

::निष्कर्ष के आधार ::

06— अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संषक्त एवं अन्तरवलित हैं, अतः साक्ष्य की पूर्णावृत्ति के दोष निवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रं. 01 से लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा हैं।

07— आवेदिका अ.सा.1 ने अपने कथन में बताया है कि उसका विवाह अनावेदक से हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार विवाह उपरांत अनावेदक उसे पैसों के लिए परेशान करने लगा। अ.सा.1 के अनुसार अनावेदक उसके साथ मारपीट करता था तथा दो वर्ष पूर्व अनावेदक उसे उसके माता पिता के पास छोड़ गया था। उक्त साक्षी के अनुसार अनावेदक ने दूसरा विवाह कर लिया है। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि उसे पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि की आवश्यकता है तथा अनावेदक बीस हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है। उक्त साक्षी ने शादी का कार्ड प्र0पी01 प्रस्तुत किया है तथा नगर निरीक्षक चंदेरी को दिया गया आवेदन पत्र प्र0पी04 प्रस्तुत किया गया है।

08— अ.सा.-2 राजू ने अपने कथन में बताया है कि आवेदिका उसकी साली है। उक्त साक्षी के अनुसार आवेदिका के साथ अनावेदक मारपीट करता था तथा वह

अपने माता पिता के साथ रह रही है। अ.सा.2 के अनुसार अनावेदक बीस हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है तथा उसने दूसरा विवाह भी कर लिया है। उक्त साक्षी के अनुसार भी आवेदिका को पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण प्रतिमाह की आवश्यकता है। अ.सा.1 के अनुसार अनावेदक ने आरती नामक महिला से विवाह किया है। उक्त साक्षी के अनुसार वह अनावेदक के साथ इसलिये जाने तैयार नहीं है क्योंकि अनावेदक ने दूसरा विवाह कर लिया है। अना.सा.1 पवन ने अपने कथन में बताया है कि आवेदिका अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं रह रही है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसपर अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व है। अना.सा.2 रघुराज ने अपने कथन में बताया है कि अनावेदक डेढ़ सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से नोकरी करता है। उक्त साक्षी के अनुसार आवेदिका अपने पिता के पास रह रही है।

09— आवेदिका साक्ष्य एवं अनावेदक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के कथनों से यह प्रमाणित हो रहा है कि आवेदिका का अनावेदक से विवाह हुआ था। आवेदिका साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि आवेदिका वर्तमान में अपने पिता के पास रह रही है। उक्त तथ्य को अनावेदक ने भी स्वीकार किया है। आवेदिका साक्ष्य एवं अनावेदक साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि अनावेदक की स्वयं की आय भी है। प्रकरण में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर आवेदिका का यह अभिवचन है कि अनावेदक उसे प्रताड़ित करता है, अप्रमाणित हो। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि आवेदिका साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके अनावेदक ने आवेदिका को प्रताड़ित नहीं किया है। आवेदिका की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि वह अनावेदक के द्वारा प्रताड़ित किये जाने के फलस्वरूप उससे अलग रह रही है। आवेदिका की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक अपनी आजीविका स्वयं चलाता है। आवेदिका की साक्ष्य में ऐसा कोई प्रमुख विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि आवेदिका द्वारा झूठा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदिका युक्तियुक्त कारण से अनावेदक से अलग रह रही हैं और वह स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। उल्लेखनीय है कि अनावेदक साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि अनावेदक साक्षी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उसका आवेदिका का भरण पोषण करने का दायित्व है। प्रकरण में अभिलेख पर यह तथ्य भी सामने आया है कि अनावेदक ने दूसरा विवाह कर लिया है और इसी कारण आवेदिका अनावेदक से अलग रह रही है। इस प्रकार आवेदिका की अनावेदक से अलग रहने के युक्ति-युक्त आधार हैं। यहां इस बात को भी सही मानने के पर्याप्त आधार हैं कि अनावेदक बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा कर रहा हैं, जबकि वह उसके भरण पोषण करने में सक्षम हैं।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि विचारणीय प्रश्न क्र.01 लगायत 04 आवेदिका के पक्ष में प्रमाणित हो रहे हैं।

विचारण प्रश्न क्रं. 05

11- विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 आवेदिका के पक्ष में निर्णित होने के कारण प्रकरण में मात्र यह निश्चित करना है कि आवेदिका को अनावेदक कितनी भरण पोषण की राशि अदा करेगा। प्रकरण में आवेदिका द्वारा यह कथन किया गया है कि अनावेदक नोकरी करता है, इस तथ्य को अनावेदक ने भी स्वीकार किया है। अतः आवेदिका की ऐसी भरण पोषण की राशि दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता है जो कि सम्मानजनक हो तथा आवेदिका की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने में पर्याप्त हो। अनावेदक का यह नैतिक एवं धार्मिक दायित्व है कि वह आवेदकगण का भरण पोषण करें। अतः प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका को 5000/- रुपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

12- अतः आदेशित किया जाता है कि अनावेदक आवेदिका को आदेश दिनांक से 5000/- रुपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार आदेश पारित।

आदेश पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)